फार्म नम्बर III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **सहायक कलक्टर** मुकाम **ओसियां**

दलपतसिंह *बनाम* करणसिंह वगैरा

किस्म मुकदमा **राजस्व विविध प्रार्थना पत्र** नम्बर 49/2021 सन् **2021**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
12/7/21	प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 136 रकबा 16.5516 हैक्टेयर, मौजा ग्राम बिरसालु खुर्द पटवार हल्का किंजरी तहसील ओसियां, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा यानि प्रत्येक का 1/24 हिस्सा है। वादग्रस्त भूमि का मौके पर आपसी सहमति से काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवागमन हेतु रास्ता छोड़ते हुए भौतिक रूप से विभाजन कर रखा है परन्तु राजस्व रेकर्ड में संयुक्त खातेदारी के रूप में दर्ज है। वादग्रस्त भूमि में से एक रास्ता चलता है जो प्रार्थीगण के आवागमन का मुख्य रास्ता है जो संलग्न नजरी नक्शे में मार्क ए से बी दर्शाया गया है। अप्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि ओरण भूमि की तरफ है जिस कारण वे ओरण भूमि में से आवागमन करते है जबकि प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि में आवागमन हेतु रास्ता नक्शे में दर्शाये अनुसार चलता है। वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के हक अधिकार व कब्जा काश्त की भूमि में तरह–तरह की दखलंदाजी करते है तथा खसरा नम्बर 136 में से संलग्न नजरी नक्शे अनुसार चलने वाले रास्ते को बन्द करने हेतु उतारू रहते है। वादग्रस्त भूमि का संलग्न नक्शे अनुसार आवागमन हेतु रास्ता छोड़ते हुए माप एवं सीमांकन अनुसार विभाजन करवाने हेतु प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को कई बार कहा लेकिन ये लोग हर बार तरह–तरह के बहाने प्रार्थीगण को बताते रहे जिसे प्रार्थीगण हककीत समझते रहे लेकिन अप्रार्थीगण शुरू से ही वादग्रस्त भूमि का विभाजन नहीं करवाना चाहते थे तथा प्रार्थीगण को मौके से बेदखल कर प्रार्थीगण का रास्ता बन्द करना चाहते है। प्रार्थीगण अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या मामला प्रमाणित है। अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 136 रकबा 16.5516 हैक्टेयर, मौजा ग्राम बिरसालु खुर्द पटवार हल्का किंजरी तहसील ओसियां, जिला जोधपुर में प्रार्थीगण के हक हिस्से व कब्जा काश्त व रास्ते में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो अप्रार्थीगण स्वयं करें न किसी अन्य से करावें मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली वास्ते ईन्तजार तलबी हेतु दिनांक 25/8/21 को पेश हो।	

सहायक कलक्टर ओसियां

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of com... of the Orde...
7/6/25	पीठासीन अधिकारी दीगरकार्यों में व्यस्त। मिसल दिनांक 15/7/25 को पेश हो।	
15/7/25	पत्रावली पेश। वकील वादी Adv. ने अवगत कराया कि मूल वाद निस्तारित हो चुका है। वास्ते अवलोकनार्थ दिनांक 6/10/25 को पेश हो।	
6/10/25	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। न्यायालय मध्य में वादी Adv. को तीन बार आवाज लगाई गई लेकिन उपस्थित नहीं। न्यायालय समय समाप्त होने जा रहा है। अतः पत्रावली अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज की जाती है। पत्रावली कौसल कुमार बनेर दाखिल दफ्तर हो। (initials)	